



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-20/2018-1107 दिनांक :- 31/8/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची /

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल/जमशेदपुर वन प्रमंडल/गोड्डा वन
प्रमंडल/वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत विभिन्न पार्कों एवं सड़क किनारे से सौन्दर्यीकरण तथा रख-रखाव कार्य हेतु कुल **रु0 321.343 लाख (तीन करोड़ इक्कीस लाख चौंतीस हजार तीन सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-30/2018-25 व0प0 दिनांक-20.08.2018 एवं आवंटन आदेश संख्या-04/यो0 बजट-30/2018-74 व0प0 दिनांक-27.08.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102-समाज तथा फार्म वानिकी, एवं वन्य प्राणी, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 रु0 321.343 लाख (तीन करोड़ इक्कीस लाख चौंतीस हजार तीन सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102590103	201.456
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102590323	119.887
कुल :-		321.343

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— 19S240601102590103 तथा 19S240601102590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. राँची वन प्रमंडल अन्तर्गत विभिन्न पार्कों/उद्यानों का रख-रखाव हेतु छः माह (अप्रैल -2018 से जूलाई-2018 तक के लिए) के लिए उप-आवंटन निर्गत किया जा रहा है। जिन पार्कों का छः माह के लिए उप-आवंटन निर्गत किया जा रहा है, वो निम्नवत है :-

- (क) दीन-दयाल पार्क, मोरहाबादी का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण
- (ख) हाईकोर्ट कॉलोनी, डोरण्डा, राँची के सड़क किनारे का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण
- (ग) राजभवन से लेकर करम टोली चौक का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण
- (घ) स्टेट गेस्ट हाउस से सी0बी0आई0 होते हुए राँची कॉलेज का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण
- (च) मुख्यमंत्री आवास से राँची कॉलेज तक का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण
- (छ) ऑक्सीजन पार्क के रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण
- (ज) नेपाल हाउस सचिवालय के सामने लोहा फेन्सिंग से वृक्षारोपण

01 अक्टूबर, 2018 से उपरोक्त वर्णित पार्कों/उद्यानों का रख-रखाव कार्य झारपार्क के द्वारा किया जाएगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा, कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जाएगा तथा एतद् संबंधी-पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम संख्या-174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना के कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जाएगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा-निर्देश का ससमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाएगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-20/2018-1107 दिनांक-31/8/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/जमशेदपुर/दुमका/मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/जमशेदपुर/दुमका/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-20/2018-1107 दिनांक-31/8/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/जमशेदपुर/गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित कि जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत विभिन्न पार्कों एवं सड़क किनारे का सौन्दर्यीकरण एवं रख-रखाव कार्य का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य			
			प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं	कुल राशि
i	ii		iii	iv	v	vi
सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	1	राजभवन उद्यान, राँची का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	31.951	6.744	25.207	31.951
	2	नेपाल हाउस एवं योजना भवन, राँची का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	24.713	13.408	11.305	24.713
	3	प्रोजेक्ट भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	23.269	12.220	11.049	23.269
	4	एम0डी0आई0 भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	13.151	6.863	6.288	13.151
	5	एफ0एफ0पी0 भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	10.968	7.174	3.794	10.968
	6	टी0ए0 डिवीजन भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	8.622	4.560	4.062	8.622
	7	ईजीनियर्स हॉस्टल भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	12.206	7.078	5.128	12.206
योग :-			124.880	58.047	66.833	124.880
राँची वन प्रमण्डल, राँची	1	मूरी-टूंगरी पार्क, सिल्ली का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	16.579	9.947	6.632	16.579
	2	जैव विविधता पार्क, राँची का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	40.000	31.000	9.000	40.000
	3	दीन-दयाल पार्क, मोरहाबादी का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण (अप्रैल -2018 से जुलाई-2018 तक के लिए)	5.513	5.513	0.000	5.513
	4	अम्बेदकर पार्क, सिल्ली का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	11.451	8.000	3.451	11.451
	5	हाईकोर्ट कॉलोनी, डोरण्डा, राँची के सड़क किनारे का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण (अप्रैल -2018 से जुलाई-2018 तक के लिए)	1.711	1.711	0.000	1.711
	6	राजभवन से लेकर करम टोली चौक का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण (अप्रैल -2018 से जुलाई-2018 तक के लिए)	1.711	1.711	0.000	1.711
	7	स्टेट गेस्ट हाउस से सी0बी0आई0 होते हुए राँची कॉलेज का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण (अप्रैल -2018 से जुलाई-2018 तक के लिए)	1.711	1.711	0.000	1.711
	8	मुख्यमंत्री आवास से राँची कॉलेज तक का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण (अप्रैल -2018 से जुलाई-2018 तक के लिए)	1.711	1.711	0.000	1.711
	9	ऑडियो विजुअल सेन्टर का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	15.588	10.000	5.588	15.588
	10	नीलगिरि हिल्स, सिल्ली का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	8.798	5.798	3.000	8.798
	11	ऑक्सीजन पार्क के रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण (अप्रैल -2018 से जुलाई-2018 तक के लिए)	13.333	11.000	2.333	13.333
	12	नेपाल हाउस सचिवालय के सामने लोहा फेन्सिंग से वृक्षारोपण (अप्रैल -2018 से जुलाई-2018 तक के लिए)	8.505	2.505	6.000	8.505
योग :-			126.613	90.609	36.004	126.613

कासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य			
			प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं	कुल राशि
i	ii		iii	iv	v	vi
जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	1	घोड़ाबन्धा पार्क, जमशेदपुर का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	13.000	9.800	3.200	13.000
	2	पारडीह-1 नेचर पार्क का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	6.305	5.000	1.305	6.305
	3	पारडीह-2 नेचर पार्क का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	6.305	5.000	1.305	6.305
	4	पृथ्वी पर्यावरण पार्क, मानगो का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	6.305	5.000	1.305	6.305
	5	छोटा गोविन्दपुर पार्क का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	6.305	5.000	1.305	6.305
योग :-			38.220	29.800	8.420	38.220
गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	1	बायो-डाइवर्सिटी पार्क, गोड्डा का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	24.630	18.000	6.630	24.630
योग :-			24.630	18.000	6.630	24.630
वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची	1	वन भवन कैम्पस, डोरण्डा का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण	7.000	5.000	2.000	7.000
योग :-			7.000	5.000	2.000	7.000
सकल योग :-			321.343	201.456	119.887	321.343

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नोक्त दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-20/2018/1107

दिनांक - 31-Aug-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	52876	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	5,804,700.00 रुपये अठावन लाख चार हजार सात सौ
2	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	52877	DRNFWL013 RAJEEV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	9,060,900.00 रुपये नब्बे लाख साठ हजार नौ सौ
3	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	52879	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	2,980,000.00 रुपये उन्तीस लाख अस्सी हजार

17,845,600.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड अठहत्तर लाख पैंतालीस हजार छः सौ


(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D. JAMSHEDPUR (RANCHI)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	52880	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	1,800,000.00 रुपये अठारह लाख
5	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	52881	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY, IFS DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	500,000.00 रुपये पाँच लाख
6	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	52882	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	6,683,300.00 रुपये छह लाख तिरयासी हजार तीन सौ

योग:

8,983,300.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड अडसठ लाख अठाइस हजार नौ सौ

26,828,900.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D.D. (RANCHI)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	52883	DRNFWL013 RAJEEV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	3,600,400.00 रुपये छत्तीस लाख चार सौ
8	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	52884	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	842,000.00 रुपये आठ लाख बयालीस हजार
9	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	52885	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	663,000.00 रुपये छः लाख तीरसठ हजार

योग:

5,105,400.00

क्रमिक योग:

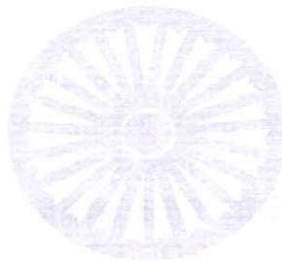
रुपये तीन करोड उन्नीस लाख चौतीस हजार तीन सौ

31,934,300.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DIBANGHANG (S) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601102590323	52886	DRNFWL049	200,000.00
	2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - बानिकी		KAMLESH PANDEY. IFS	रुपये दो लाख
	102 - समाज तथा फार्म बानिकी			
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)		
	Central Scheme :	NA		



योग:	200,000.00
क्रमिक योग:	रुपये तीन करोड इक्कीस लाख चौतीस हजार तीन सौ
	32,134,300.00

Satnam Singh
(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D. B. (H. K. S.) RANCHI